न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 25/2019

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
तेजा पुत्र भूराजी जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा जरिये सरपंच 2. मूलाराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 43 दिनांक 15.02.2018 जो ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 26/2019

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
तेजा पुत्र भूराजी जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा जरिये सरपंच 2. शेराराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 40 दिनांक 15.02.2018 जो ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 27/2019

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
तेजा पुत्र भूराजी जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा जरिये सरपंच 2. मोतीराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 42 दिनांक 15.02.2018 जो ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 28 / 2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
तेजा पुत्र भूराजी जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा जरिये सरपंच 2. डूंगराराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 41 दिनांक 15.02.2018 जो ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :– उपर्युक्त चारों निगरानी प्रार्थना–पत्रों में
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह चारों निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टों के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त चारों निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 मूलाराम, शेराराम, म[illegible]राम व डूंगराराम पि0 गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर ने दिनांक 29.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

01.2018 को अलग–अलग चार आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी कब्जाशुदा एवं आवासीय पुश्तैनी भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा ने उक्त प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही उपरान्त पट्टा संख्या 40–43 दिनांक 15.02.2018 जारी किये गये। प्रार्थी ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा मौखण्डी ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता भूरा पुत्र शोभा द्वारा तत्कालीन जागीरदार किशोरसिंह से दिनांक 18.07.1947 को क्रय कर पट्टा जारी किया गया था जिस पर प्रार्थी का पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूखण्ड के पश्चिम दिशा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि का खेत खसरा नंबर 83 आया हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा काश्त की जाती है किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित रूप से प्रभावित करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 83 को आबादी बताते हुए विवादित पट्टे जारी करवा दिये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलौच्य पट्टे जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य पट्टे जारी करने से पूर्व मौके की जांच, निरीक्षण इत्यादि नहीं करवाया गया। प्रार्थी के स्वामित्व की आवासीय भूमि एवं खातेदारी भूमि के बीच ग्राम पंचायत की आबादी भूमि अवस्थित नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थीगण चारों भाइयों के नाम प्रार्थी की कृषि भूमि पर आलौच्य चार पट्टे जारी कर दिये जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा दिनांक 29.01.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 17 दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही कर आलौच्य पट्टे जारी कर दिये हैं जो विधि अनुसार संभव नहीं है। पंचायतीराज नियम के अन्तर्गत आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की एक कमेटी गठित की जाकर मौका निरीक्षण किया जाना, मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे आगामी पंचायत बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना तथा इसके पश्चात 30 दिवस का सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्ति / ऐतराज आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी प्रावधान है। निगरानी अधीन पट्टों से संबंधित पत्रावलियों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि आलौच्य पट्टे जारी करने से पूर्व न तो आम सूचना का नोटिस जारी किया गया और न ही विधि अनुसार प्रकाशित कराया गया। आलौच्य पट्टे नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के अन्तर्गत किये गये हैं जिस हेतु कम से कम 50 वर्षों से अधिक अवधि में सनिर्मित पुराने गृहों के लिये पट्टे जारी करने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या 2 के मौके पर न तो कोई मकान विद्यमान है और न ही कोई आबादी भूमि अवस्थित है। ऐसी दशा में पुराने गृह विद्यमान नहीं होते हुए भी फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आलौच्य पट्टे प्राप्त किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टे जारी करने से पूर्व न तो कोई प्रस्ताव लिया गया है और न ही इस संबंध में अंतिम विनिश्चय किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत चारों निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम मौखण्डी में ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा की आबादी भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 2 मूलाराम, मोतीराम, शेराराम व डूंगराराम के पुराने पुश्तैनी आवासीय मकान आये हुये हैं। इस हेतु अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.2018 दो वार्ड पंच एवं सरपंच के द्वारा तैयार की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम मौखण्डी के आबादी भूमि में आवेदक का पुराना कब्जाशदा आवासीय स्थल है तथा आ[illegible]जस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) [illegible] विलेख (पट्टा) प्राप्त करने की समस्त [illegible] पडोसियान से आवेदक के कब्जे एवं स्वामित्व के संबंध में जानकारी [illegible] गई तथा पट्टा विलेख जारी करने की अनुशंषा की जाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिसम्मत तरीके से पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड भी संधारित किया गया था जो अवलोकनार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 मूलाराम, शेराराम, मोतीराम व डूंगराराम पि0 गोमाराम जाति चौधरी निवासी मौखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर ने दिनांक 29.01.2018 को अलग–अलग चार आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी कब्जाशुदा एवं आवासीय पुश्तैनी भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा ने उक्त प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही उपरान्त पट्टा संख्या 40–43 दिनांक 15.02.2018 जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत के निर्धारित रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जाना नहीं पाया जाता है साथ ही पट्टा पत्रावलियों में पड़ौसियों के साक्ष्य हेतु बयान फार्म खाली ही संलग्न किये गये हैं। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतीकरण एवं पट्टा जारी करने की अवधि मात्र 17 दिन ही रही है जिसके दरमयान एक बैठक दिनांक 05.02.2018 को हुई है एवं एक बैठक दिनांक 15.02.2018 अर्थात 10 दिन के अन्तराल में संपन्न हुई है। ग्राम पंचायत की आम बैठक दिनांक 05.02.2018 में आवेदित भूखण्डों के संबंध में नियम 148 के तहत प्रपत्र 22 में एक माह मयाद का आपत्ति आमंत्रण का नोटिस जारी किया गया है। इसके बावजूद उक्त आपत्ति आमंत्रण की एक माह अवधि पूर्ण होने से पहले ही दिनांक 15.02.2018 को आलौच्य पट्टे जारी कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायत की उक्त कार्यवाही विधिविरूद्ध, अनियमित एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना संपन्न की गई है तथा इसके अनुसरण में जारी पट्टा विलेख नियम विरूद्ध एवं अनियमित होने से बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 40, 41, 42 व 43 खारिज किये जाते है तथा उक्त चारों प्रकरण ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जाता है कि दोनों पक्षों को नोटिस एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में यथाविहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested